मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

क्र./म.स./2016–17/642 भोपाल, दिनांक 09.06.2016

1. कलेक्टर, जिला समस्त मध्यप्रदेश.
2. संभागीय उप संचालक, महिला सशक्तिकरण संभाग–समस्त म.प्र.
3. जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी , जिला–समस्त म.प्र.
4. परियोजना अधिकारी/खण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी परियोजना–समस्त.

विषयः– लाडली लक्ष्मी योजना के कियान्वयन व ladlilaxmi.com वेबसाईट के संबंध में मार्गदर्शन।

संदर्भः– मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग का पत्र कमांक एफ 3–11/2007/50–2 दिनांक 24.12.2014

लाडली लक्ष्मी योजना को रिविजिट किये जाने उपरांत हितग्राही बालिकाओं को ऑनलाईन प्रमाणपत्र प्रदाय किया जा रहा है। रिविजिट उपरांत क्षैत्रीय स्तर पर योजना कियान्वयन में आ रही समस्याओं से अधिकारियों द्वारा समय–समय पर अवगत कराते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है। क्षैत्रीय स्तर पर आ रही समस्याओं व उनके निराकरण के संबध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेः–

समस्या–

बालिकाओं के नाम में समय समय पर परिवर्तन किये जाना– हितग्राहियों के परिवारजनों द्वारा या लिपिकीय त्रुटिवश बालिका का नाम/पिता का नाम/माता का नाम /जन्म दिनांक /पत्राचार, पता /बच्चे से संबधित दस्तावेज आदि की गलत प्रविष्टि कर दी जाती है। कार्योपरांत व प्रमाणपत्र जनरेट होने के उपरांत नाम में परिर्वतन हेतु बार–बार निवेदन किया जाता है।

मार्गदर्शन– इस प्रकार के प्रकरणों पर कलेक्टर के अनुमोदन व जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी लागईन कर नियमानुसार पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरांत वेबसाईट में बालिका से संबधित विवरण की प्रविष्टियों में आवश्यक सुधार (correction) कर सकेंगें।

समस्या–

वर्ष 2007–08 से वर्ष 2013–14 तक के प्रकरणों में हितग्राही को पंजीकृत कर पांच वर्षों तक प्रतिवर्ष 6 हजार की एन एस सी प्रदाय की जानी थी किंतु कतिपय कारणों से कुछ हितग्राहियों की कुछ एन एस सी दी जाना शेष रह गई है। जिस कारण से एन एस सी की जानकारी वेबसाईट में दर्ज न होने से संबधित हितग्राही के प्रमाणपत्र जनरेट नहीं हो पा रहे हैं।

मार्गदर्शन–इन प्रकरणों में जिला कार्यकम अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध लेखा संबधी रिकार्डों से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबधित हितग्राही के लिये पोस्ट आफिस को कोई राशि जारी नहीं की गई है। पूर्णतः संतुष्टि, सत्यापन व प्रमाणीकरण उपरांत उप संचालक, संभागीय कार्यालय द्वारा लागईन कर प्रमाणपत्र

जनरेट किया जा सकेगा किंतु इस हेतु उपसंचालक यह सुनिश्चित करेंगें कि शेष राशि (बची हुई एन एस सी की शेष किश्तें) जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी के माध्यम से निधि में जमा हो जाये।

समस्या–

पूर्व वर्षों के प्रकरण जिन्हें स्वीकृत कर एन.एस.सी. भी जारी की गई हैं किंतु कतिपय कारणों से ऑनलाईन एन्ट्री नहीं की जा सकी।

मार्गदर्शन–इन प्रकरणों में हितग्राही पूर्व से ही योजना में पंजीकृत हो चुके हैं अतः जिला सशक्तिकरण अधिकारी कलेक्टर की अनुमति प्राप्त कर जिला महिला सशक्तिकरण के लागईन से विशेष आवेदन के अंतर्गत वेबसाईट में एन्ट्री कर सकेंगें। किंतु इस हेतु जिला कलेक्टर की स्वीकृति (नस्ती/पत्र) की फोटो वेबसाईट पर अपलोड करनी होगी।

(जे.एन. कांसोटिया)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृ.क./मस/643/2016–17

भोपाल, दिनांक09/06/2016

प्रतिलिपिः–

1 आयुक्त, महिला सशक्तिकरण/एकीकृत बाल विकास सेवा।
2 संभागायुक्त, संभाग समस्त, म0प्र0 ।
3 जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवा, जिला–समस्त.

प्रमुख सचिव, 8/6/16
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग